



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड IV

PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 272]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

सं. 324-5/2018-सीए.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में अगला संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2018

(2018 का 5)

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 6) (इसमें आगे जिन्हें मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड में वाक्य "उपभोक्ता मामले और सेवा गुणवत्ता प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार और वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार को अधिकृत करना" को वाक्य "प्राधिकरण में उपभोक्ता मामलों से संबंधित प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार और वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण मामलों से संबंधित प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप सलाहकार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3) मूल विनियमों के विनियम 8 में,-
(क) खंड (घ) को हटाया जाएगा;
(ख) खंड (छ) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
“(छ) प्राधिकरण में उपभोक्ता मामले देख रहे मुख्य सलाहकार ---- पदेन सदस्य”;
(ग) खंड (ज) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(ज) प्राधिकरण में उपभोक्ता मामले देख रहे सलाहकार ----- पदेन संयोजक सदस्य”

- 4) मूल विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (1) में वाक्य “दि एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया” को हटाया जाएगा।
- 5) मूल विनियमों के विनियम 10 के उपविनियम (1) में वाक्य “दो माह पूर्व” को शब्द “पर” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 6) मूल विनियमों के विनियम 13 में, -
 - (क) खंड (क) में, शब्द “दो” को शब्द “पाँच” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) खंड (ख) में, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ख) विनियम 8 के खंड (ग) और (घक) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों के संबंध में, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा सेवा प्रदाताओं की ऐसी अन्य एसोसिएशन द्वारा।”

एस. के. गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./149/18]

- टिप्पणी 1---** मूल विनियम अधिसूचना संख्या 322/4/2006/क्यूओएस (सीए) के तहत दिनांक 15 जून, 2007 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।
- टिप्पणी 2---** मूल विनियमों में अधिसूचना संख्या 322-8/2010-सीए के द्वारा संशोधन किए गए थे और 7 मार्च, 2011 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।
- टिप्पणी 3---** मूल विनियमों में अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए के द्वारा संशोधन किए गए थे और ये 10 जुलाई, 2013 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।
- टिप्पणी 4---** मूल विनियमों में अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए के द्वारा संशोधन किए गए थे और 26 जून, 2014 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किए गए थे।
- टिप्पणी 5---** व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 5) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6), जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है, जारी किया था। मूल विनियमों के अनुसार, “दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (टीसीईपीएफ)” बनाया गया है। निधि की आय का उपयोग उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण से जुड़े कार्यों और कार्यक्रमों को करने में किया जाता है, जो प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि उपयोग समिति (सीयूटीसीईएफ) की सिफारिशों के अनुसरण में स्वीकृत किए गए हैं।

2) वर्तमान सीयूटीसीईएफ में सेवा प्रदाता एसोसिएशनों के पांच सदस्य अर्थात् दो सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) से और दो एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) से एवं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएसपीआई) का एक सदस्य शामिल हैं। बहरहाल, एयूएसपीआई बंद हो गई है। इसलिए सीयूटीसीईएफ से एयूएसपीआई का नाम हटाना अपेक्षित है। तदनुसार, इस संशोधन कि जरिये सीयूटीसीईएफ की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है।

3) समिति अपनी वार्षिक बैठक में अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देते समय, वित्त वर्ष में टीसीईपी निधि से किए गए विभिन्न कार्यों के साथ आय एवं व्यय की समीक्षा करती है। बहरहाल, वित्त वर्ष की पिछली तिमाही में प्राप्त आय और किए गए व्यय के

विवरण समिति के विचारार्थ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मूल विनियमों के विनियम 10 में विनिर्धारित समयसीमा के अनुसरण में पिछली तिमाही से पहले समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है, जिसमें समिति अगले वित्त वर्ष के शुरू होने से दो माह पहले प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु बजट अनुमान प्रस्तुत करती है। इसके लिए प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु वार्षिक बजट अनुमान प्रस्तुत करने की समयसीमा संबंधी प्रावधान में उपयुक्त बदलाव करना जरूरी हो गया था इसलिए इस संबंध में इन विनियमों के जरिये संशोधन किए गए हैं।

4) भादूविप्रा के विभागों का पुनर्गठन किया गया है, अब उपभोक्ता मामले (सीए) और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) दो अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। संबंधित प्रावधानों में परिणामी बदलावों के अनुसार, विनियम में बदलाव किए गए हैं।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2018

No. 324-5/2018-CA.— In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007), namely :-

TELECOMMUNICATION CONSUMERS EDUCATION AND PROTECTION FUND (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

(5 of 2018)

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Fourth Amendment) Regulations, 2018.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 6 of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) (hereinafter referred to as principal regulations), in proviso to sub-regulation (3), for the words “authorise a Joint Advisor or Deputy Advisor of Consumer Affairs and Quality of Service Division and a Joint Advisor or Deputy Advisor of Finance and Economic Analysis Division”, the words “authorise a Joint Advisor or Deputy Advisor in the Division dealing with Consumer Affairs and a Joint Advisor or Deputy Advisor in the Division dealing with Finance and Economic Analysis matters in the Authority” shall be substituted.
3. In regulation 8 of the principal regulations,-
(a) clause (d) shall be omitted;
(b) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-
“(h) Principal Advisor dealing with Consumer Affairs in the Authority----- ex officio member”;
(c) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-
“(i) Advisor dealing with Consumer Affairs in the Authority----- ex officio convenor member”
4. In regulation 9 of the principal regulations, in sub-regulation (1), the words “the Association of Unified Telecom Service Providers of India” shall be omitted.
5. In regulation 10 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the words “two months before”, words “at the” shall be substituted.
6. In regulation 13 of the principal regulations,-
(a) in clause (a), for the word “two”, word “five” shall be substituted;
(b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
“(b) the Cellular Operators Association of India, the Internet Service Providers Association of India and such other association of the service providers in respect of members nominated by them under clauses (c) and (da) of regulation 8.”

S. K. GUPTA, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./149/18]

Note 1---- The principal regulations were published *vide* Notification No. 322/4/2006-QoS (CA) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 15th June, 2007.

Note 2----The principal regulations were amended *vide* notification No. 322-8/2010-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 7th March, 2011.

Note 3----The principal regulations were amended *vide* notification No. 324-2/2013-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 10th July, 2013.

Note 4----The principal regulations were amended *vide* notification No. 324-2/2013-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 26th June, 2014.

Note 5 ---- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Fourth Amendment) Regulations, 2018 (5 of 2018).

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 [(6 of 2007) hereinafter referred to the principal regulations] on 15th June 2007. In terms of the principal regulations, a fund called “Telecommunication Consumers Education and Protection Fund” (TCEPF) has been created. The income from the Fund is utilized to undertake programmes and activities relating to consumer education and protection as are approved by the Authority following the recommendation of the Committee for Utilization of Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (CUTCEF).

2. The current CUTCEF composition includes five members from service providers’ associations viz. two each from Cellular Operators Associations of India (COAI) and Association of Unified Telecom Service Providers of India (AUSPI) and one from Internet & Broadband Service Providers of India (ISPAI). However, the AUSPI has now ceased to exist. The name of AUSPI is, therefore, required to be deleted from the CUTCEF composition. The constitution of CUTCEF is accordingly being amended through this amendment.

3. The Committee reviews income & expenditure alongwith various activities carried out of TCEP Fund in a financial year (FY) while finalizing the budget estimates for the next FY in its annual meeting. However, the details of income accrued and expenditure incurred in the last quarter of the FY are not available for consideration by the committee as the meeting of committee is required to be organised well before the beginning of the last quarter of FY in pursuance of timelines prescribed in regulation 10 of the principal regulation, which envisages submission of budget estimates by the Committee for approval of the Authority two months before the beginning of next FY. This has necessitated making suitable changes in the provision regarding timelines for submission of annual budget estimates for approval of the Authority and amendment to that effect has been carried through these regulations.

4. There has been reorganisation of Divisions in TRAI with Consumer Affairs (CA) and Quality of Service (QoS) now being two separate Divisions. Consequential changes in the related provisions have accordingly been made in the Regulation.